न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज रोन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 57/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/156

प्रार्थी		अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।	**बनाम**	श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह निवासी मल्ला वासनी तहसील डीडवाना मैसर्स बालाजी भोजनालय दौलतपुरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–

1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री केशव औझा अप्रार्थी की ओर से

–ःआदेशः–

दिनांकः **11.11.2024**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 19.09.2024 को सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक व श्री लोकेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा दौलतपुरा स्थित मैसर्स बालाजी भोजनालय पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह निवासी मल्ला बासनी उपस्थित मिले, जिन्होंने [illegible] का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर [illegible] उपयोग/भण्डारण किया हुआ पाया गया। श्री प्रतापसिंह से घरेलू गैस के [illegible] एवं विक्रय से [illegible] किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके [illegible] घरेलू गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना आपने बयानों में स्वीकार किया। श्री प्रतापसिंह द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित / दुरूपयोग किये गये 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर हैः–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	770384	5.5 किग्रा
2.	एचपीसीएल	783881	0

उपरोक्त 02 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स सूपका इण्डेन गैस सूपका के प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री प्रतापसिंह का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री केशव औझा ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री प्रतापसिंह के होटल पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री प्रतापसिंह के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व प्रतापसिंह ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स सूपका इण्डेन गैस सूपका के प्रतिनिधि श्री रामचन्द्र को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री प्रतापसिंह के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:24:35 IST
Reason: SelfAttested